मध्यप्रदेश कर्मचारी (सेवारत/सेवानिवृत्त) के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना M.P.E.H.I.S

वर्तमान चिकित्सा सुविधा परिदृश्य

- सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी : लगभग 5.00 लाख हैं।
- पेंशनर्स को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधायें :–
  - निःशुल्क दवाई सुविधा (2019–20 : रूपये 14.59 करोड़)
- कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी : लगभग 7.50 लाख
- चिकित्सा सुविधा : –
  - रूपये 131 करोड़ – चिकित्सा प्रतिपूर्ति
  - शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क दवायें

कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा – वर्तमान स्थिति

- वर्षिक सीमा रू. 25,000 (लंबे समय तक चलने वाले उपचार को छोड़कर)
- कमरे के किराये का 50 प्रतिशत भुगतान
- सीमित बजट, प्रक्रिया में सरलता का अभाव

केन्द्र शासन के कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधा

- सी.जी.एच.एस योजना लागू
- सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिये उपलब्ध
- सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समान लाभ।
- निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध।
- योजना के अंतर्गत हितग्राहियों से अंशदान की व्यवस्था।
- सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त अंशदान का प्रावधान।

अन्य राज्यों में उपलब्ध व्यवस्था

- राजस्थान में शासकीय कर्मचारियों का अंशदान पेंशनर मेडिकल फण्ड में जमा कर पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध
- तमिलनाडू में पेंशनर से अंशदान के आधार पर स्वास्थ्य बीमा योजना अधिकतम सीमा रू. 4.00 लाख – अति गंभीर बीमारियों के लिये रू. 7.50 लाख
- पंजाब राज्य में अंशदान के आधार पर कर्मचारियों एवं पेंशनर के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना अधिकतम सीमा रू. 3.00 लाख

सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के Cashless उपचार की नवीन प्रस्तावित योजना

- चिकित्सा सुविधा के लिये किसी राशि का पूर्व भुगतान आवश्यक नही
- सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये एक समान सुविधा
- हितग्राहियों एवं परिवार को स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर चिकित्सा सुविधा
- कार्ड के आधार पर मान्यता प्राप्त अशासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की सुविधा
- निगम मंडल के कर्मचारियों को बोर्ड की अनुमति से सम्मिलित करने की व्यवस्था
- अखिल भारतीय सेवाओं के लिये योजना में सम्मिलित होने का विकल्प

प्रस्तावित योजना के हितग्राही

- प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं उनका परिवार
- प्रदेश शासन के पेंशन भोगी एवं उनका परिवार
- प्रदेश शासन के ऐसे निगम मंडलों में कार्यरत कर्मचारी एवं उनका परिवार, जिनके बोर्ड द्वारा योजना में सम्मिलित होने की सहमति दी गई हो
- प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा अधिकारी एवं उनका परिवार
- परिवार में पति/पत्नी तथा आश्रित सम्मिलित
- आश्रित में 25 वर्ष की आयु से कम 2 बच्चे तथा आश्रित माता पिता सम्मिलित
- 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता से ग्रसित बच्चे

प्रस्तावित योजना के लाभ

- सामान्य उपचारों के लिये रू. 5.00 लाख तथा गंभीर उपचारों के लिये रू. 10.00 लाख की सीमा
- बाह्य रोगी के रूप में प्रतिवर्ष चिकित्सा जॉच अथवा दवाओं पर रू. 10000 की सीमा तक निःशुल्क जॉच / दवाओं का वितरण
- हितग्राहियों से अंशदान के आधार पर योजना का क्रियान्वयन
- भारत शासन की अधिसूचना जारी होने पर योजना में किये गये अंशदान पर आयकर से छूट की उपलब्धता
- कर्मचारियों के हेल्थ रिकार्ड के संधारण की व्यवस्था
- शिकायत निवारण की प्रभावशाली व्यवस्था

क्रियान्वयन की प्रक्रिया

- निरामयम सोसायटी के माध्यम से क्रियान्वयन
- प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के अनुसार पैकेज रेट का निर्धारण
- पैकेज रेट में परिवर्तन के अधिकार निरामयम सोसायटी को
- उपचार उपरांत चिकित्सालयों के देयकों का निरामयम सोसायटी द्वारा भुगतान
- चिकित्सालयों के देयकों के परीक्षण के लिये टी.पी.ए की व्यवस्था
- सेवारत कर्मचारियों के मासिक वेतन से अंशदान की कटौत्री
- पेंशनरों के मासिक पेंशन से अंशदान की कटौत्री बैंक के माध्यम से
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट से निरामयम सोसायटी को प्रति त्रैमास अनुदान की व्यवस्था

प्रस्तावित अंशदान

श्रेणी	मासिक अंशदान की दर
सेवारत कर्मचारी	
वेतन बैंड 12 से ऊपर	1000
वेतन बैंड 11 से 7	650
वेतन बैंड 6	450
वेतन बैंड 5 से 1	250
पेंशनर /परिवार पेंशनर	
रू. 50000 से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर	1000
रू. 50000 से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर	650
रू. 25000 से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर	450
रू. 15000 से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर	250